लिये हैं जब वह सम्पत्ति संयुक्त परिवार की पूर्ण सम्पत्ति के ... उसके उत्तराधिकारीगण ने भी मिला अंश धारक के रूप में। इसलिए पुनर्मिलन का प्रश्न वर्तमान मामले में किसी भी रूप में अभिभावी नहीं है।[4]

उचित स्थिति यह है कि ऐसी कोई उपधारणा नहीं है कि परिवार सम्पत्ति पर संयुक्त कब्जा के कारण संयुक्त है। अतः विभाजन के वाद में, एक पक्षकार जो सम्पत्ति के किसी विशिष्ट किस्म को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति के किस्म का होने का दावा करता है यह साबित करने का भार कि यह ऐसा है उस पर है।[5]

माता एवं भाइयों के बीच विभाजन—माता एवं भाइयों के बीच विभाजन के वाद को ऐसा समझौता समझा गया है, जिसमें माता द्वारा यह स्वीकृति की गयी थी कि उसका उसमें केवल सीमित अधिकार है, वहाँ सम्पत्ति समझौता की डिक्री के अधीन प्रथम समय तक अर्जित की गयी थी। यह धारित किया गया कि ऐसी स्वीकृति बाध्यकारी है।[6]

जब किसी समय पुत्रों के बीच विभाजन किया जाता है तो माता सहदायिकी सम्पत्ति में पुत्रों के साथ समान अंश की हकदार है। यदि जब कभी माता ने अपने पति या श्वसुर से 'स्त्रीधन' प्राप्त की है तो उसका मूल्य उसके अंश से कटौती की जा सकती है।[7]

यद्यपि माता विभाजन के लिए उस समय तक बाध्य नहीं कर सकती है जब तक कि पुत्र संयुक्त हैं। वह सहदायिकी में पुत्र के समान अंश पाने की हकदार है यदि पुत्रों के बीच विभाजन किया जाता है। यह तर्क कि चूँकि माता सहदायिकी का सदस्य नहीं है, इसलिए वह सम्पत्ति में अंश नहीं ले सकती है, सुआधारित नहीं है। यद्यपि कि माता पुत्रों के साथ

---

1. *गोलक चन्द्र नायक* बनाम *गोविन्द नायक*, ए० आई० आर० 1996 उड़ीसा 189 : 1996(3) सिविल एल० जे० 327 : 1996(82) करेण्ट एल० टी० 205 : 1996(2) सी० सी० सी० 307.
2. *बोलानाथ करमाकर* बनाम *शैलेन्द्र नाथ प्रमाणिक*, ए० आई० आर० 1984 कल० 319 : (1983)2 कल० एच० एन० 383 : (1983)2 कल० एल० जे० 285 : 88 कल० डब्ल्यू० एन० 228(खण्डपीठ).
3. *सोमर महतो* बनाम *झीलो देवी*, ए० आई० आर० 1990 एन० ओ० सी० 55 पटना।
4. *चुनिया महतानी* बनाम *शोभा महतो*, ए० आई० आर० 1999 पटना 189-196.
5. *कुन्जा प्रसती* बनाम *हरेकृष्णा प्रसती*, 1990(2) सिविल एल० जे० 437(उड़ीसा).
6. *वेंकमामिदी वेंकटा सुब्बा राव* बनाम *चटलापल्ली सीथारामारत्ला रंगनायकम्मा*, 1997(5) एस० सी० सी० 460 : ए० आई० आर० 1997 एस० सी० 3082 : 1977(4) जे० टी० 713 : 1997(3) स्केल 664 : 1997(5) सुप्रीम 94 : 1997(3) सी० एल० टी० 346(एस० सी०) : 1997(3) सी० एल० टी० 435 (एस० सी०).
7. *गोपाल नारायण* बनाम *दुर्गा प्रसाद गोपंका*, ए० आई० आर० 1971 देलही, 61.